(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3036–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 589/अपील/2011–12.

.....

बाबूलाल पुत्र बिहारीलाल विश्वकर्मा
निवासी ग्राम सागर तहसील चाचौड़ा
जिला गुना म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–बिहारीलाल पुत्र रूगनाथ विश्वकर्मा
2–विष्णुप्रसाद पुत्र बिहारीलाल विश्वकर्मा
निवासीगण ग्राम सागर तहसील चाचौड़ा
जिला गुना म0प्र0

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–अपीलार्थी

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/2/14 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से जॉच कराई जाकर अपर कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर नक्शा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर

द्वारा दिनांक 20–3–2012 को आदेश पारित कर यह पाते हुये कि प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का नहीं होकर बटांकन का है और जिसके अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है अतः तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर सुधार करने के लिये संहिता के प्रावधानों के तहत सक्षम है, अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–7–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है क्योंकि अपर आयुक्त के समक्ष नकल प्राप्ति से समय सीमा में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नकल अप्रेल में तैयार हो गई थी और अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर जुलाई में नकल प्राप्त की गई । अतः अपीलार्थी की स्पष्ट लापरवाही परिलक्षित होने से अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12–7–2012 को लगभग 4 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है और नकल प्राप्त करने में लगभग ढाई माह का समय लगा है, अतः यदि 4 माह से ढाई माह कम कर दिया जाये तो अपर आयुक्त के समक्ष अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है । जहॉ तक अपर कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है

कि प्रकरण नक्शे में त्रुटि का नहीं होकर बटांन त्रुटि का है, क्योंकि सर्वे नम्बर 38 के विभिन्न बटा नम्बर के रकबों में ही नक्शे में जो बटांन डाले गये हैं उन्हीं में त्रुटि है, परन्तु कलेक्टर को प्रकरण निरस्त नहीं कर आवश्यक निर्णय लेने के लिये तहसीलदार को भेजना था, क्योंकि राजस्व अभिलेखों को सही रखने का उत्तरदायित्व राजस्व अधिकारियों का होता है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि सभी पक्षों को सुनकर बटांन में हुई त्रुटि को संशोधित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर